मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना क्रमांक 01/परीक्षा/2016, दिनांक 12.05.2016

आगामी राज्य वन सेवा परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक जानकारी

01 राज्य शासन द्वारा गठित स्टैंडिग समिति द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा के आयोजन के संदर्भ विस्तृत विचारोपरांत **राज्य वन सेवा परीक्षा** के आयोजन विधि का निर्धारण किया गया है अभ्यर्थियों की सूचना हेतु यह जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है:-

02 राज्य वन सेवा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा :-

अ. **परीक्षा हेतु पदों की अधिसूचना तथा आवेदन विधि:-** राज्य वन सेवा के पदों का विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो राज्य वन सेवा के पदों हेतु अभिनिर्धारित योग्यता धारित करते है वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल राज्य सेवा अथवा राज्य सेवा के साथ-साथ राज्य वन सेवा अथवा केवल राज्य वन सेवा के लिए आवेदन करने के विकल्प का चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में वन सेवा में सम्मिलित पदों का चयन भी कर सकेंगें।

ब. **राज्य वन सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा :-** यह परीक्षा राज्य सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के रूप होगी तथा राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु विकल्प चयनित करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु राज्य वन सेवा के विज्ञापित पदों के 15 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा।

स. **राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा :-** राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसमें अभ्यर्थी अपने एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकेंगे। राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा में निम्नानुसार कुल चार वर्णनात्मक स्वरूप के प्रश्नपत्र होंगें :-

1. सामान्य अध्ययन
2. सामान्य हिन्दी
3. वैकल्पिक विषय : प्रथम प्रश्नपत्र
4. वैकल्पिक विषय : द्वितीय प्रश्नपत्र

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा की परीक्षा योजना, वैकल्पिक विषय तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञापन में प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों की स्केलिंग भी की जाएगी तत्सम्बंधी सूत्र भी राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञापन में प्रकाशित किया जाएगा।

द. **साक्षात्कार:-** राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषण हेतु पात्र घोषित किया जाएगा।

(प्राप्तांक से अभिप्रेत है अनिवार्य विषयों में प्राप्त अंक तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्नपत्रों में प्राप्त स्केल्ड अंकों का योग)

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद जो अभ्यर्थी योग्य पाये जाएंगे उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम शारीरिक सक्षमता परीक्षण लिया जाएगा तथा उसमें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा।

इ. अंतिम चयन अभ्यर्थी द्वारा राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

03 **राज्य वन सेवा परीक्षा की उक्त चयन विधि राज्य सेवा परीक्षा 2017 के विज्ञापन से लागू की जाएगी जिसका विज्ञापन नवंबर 2016 में जारी किया जाएगा । उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी कलेंडर में घोषित विज्ञापन तिथि 23.05.2016 उपरोकतानुसार संशोधित की जाती है।**

उप सचिव